printing presses of Central, Eastern, Northern, Southern, and South-Central Railways. But, the decision was not implemented due to the strong objection raised by the workers and trade unions. The Railway Board has released an order, dated 03rd May 2023, referring its previous orders on this subject and reiterated the decision to close down the presses. To meet up the uninterrupted supply of revenue earning items such as UTS, PRS, ATVM tickets, RTC for MLA/MLC/APC, various types of passes, safety forms related with train movement, signalling, medical forms related with treatment and personnel forms related with staff matter, the existence of the Railway Press is required. In practical experience it is observed that the suppliers are not performing their duties in a proper way. The quality of materials is also not up to the mark. They are failing to supply the materials in right time, right quantity and right quality. Due to paucity of materials, train movement can suffer badly. So outsourcing in Railway Presses is required to be avoided in the interest of rail users and rail movement. In this scenario, I hereby urge the Government to instruct the Railway Board to withdraw its decision and facilitate smooth operation of all the Railway Printing Presses in India. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI KARTIKEYA SHARMA): The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by the hon. Member, Shri Elamaram Kareem: Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Binoy Viswam (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Abir Ranjan Biswas (West Bengal), Shri A.A. Rahim (Kerala), Shri Sandosh Kumar P. (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala) and Dr. Fauzia Khan (Maharashtra).

Demand to implement PM-KUSUM scheme in Odisha

श्री मुजीबुल्ला खान (ओडिशा) : महोदय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किसानों को सस्ती और सुलभ बिजली प्रदान करने के लिए 2019 में तीन घटकों के तहत विभाजित पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान) लॉन्च किया है। घटक-ए में 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना शामिल है ,घटक-बी के तहत 20 लाख स्टैंडअलोन सौर पंपों की स्थापना का लक्ष्य है और घटक-सी में 15 लाख व्यक्तिगत ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण शामिल है। यह योजना माँग आधारित है ,जिसमें राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई माँगों के आधार पर धनराशि स्वीकृत और जारी की जाती है। ओडिशा सरकार ने घटक-बी के तहत 10,741 स्टैंडअलोन सौर पंपों की स्थापना और घटक-सी के तहत 50,000 व्यक्तिगत ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरीकरण की माँग की थी। हालाँकि सितंबर 2023 तक केवल 5,741 सौर पंप्स स्वीकृत किए गए हैं ,जिनमें से 1,294 घटक-बी के तहत स्थापित किए गए हैं। इसके

अलावा, कंपोनेंट-सी के तहत 50,000 कृषि पंपों में से ज़ीरो की मंजूरी दी गई है। पीएम-कुसुम योजना के तहत माँगों को मंजूरी देने में देरी ओडिशा के किसानों को बिजली उत्पादन तक समावेशी पहुँच से वंचित कर रही है।

महोदय ,मैं आपके माध्यम से सरकार से पीएम-कुसुम योजना के घटक-बी और घटक-सी के तहत ओडिशा राज्य सरकार द्वारा उठाई गई माँगों को मंजूरी देने में देरी के कारणों की समय पर समीक्षा की माँग करता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI KARTIKEYA SHARMA): The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by Shri Muzibulla Khan: Dr. Amar Patnaik (Odisha), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu)

Demand of voting rights for people living in Cantonment Boards

डा .लक्ष्मीकान्त बाजपेयी (उत्तर प्रदेश) : महोदय, छावनी परिषदों (कैंटोनमेंट बोर्ड्स) में बी.आई. लाइन - ब्रिटिश इंफैंट्री, बी.सी. लाइन - ब्रिटिश कैवलरी और आर.ए. लाइन - रॉयल आर्टिलरी, इस तरह के नाम अभी भी चल रहे हैं, जिनको सेना के शहीदों के नाम पर परिवर्तित करना चाहिए।

महोदय, देश भर के छावनी परिषदों में सामान्यः बी 4-लैंड्स होती हैं, जिनमें झुग्गी-झोपड़ी के ज्यादातर लोग निवास करते हैं। उनको लोक सभा तथा विधान सभा के चुनावों में मतदान का अधिकार होता है, लेकिन वे छावनी परिषद के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते, जिसका कारण बी 4-लैंड पर उनका अवैध बसा होना बताया जाता है। भारत के संविधान के अंतर्गत विभिन्न निर्वाचनों में उनको मतदान का अधिकार है, परंतु यहाँ पर ऐसी विसंगति है, जिस पर विचार होना चाहिए।

इसी प्रकार छावनी परिषद के क्षेत्र में सेना के जवान रहते हैं और उनके वोट लोक सभा, विधान सभा और छावनी परिषद के चुनावों में पड़ते हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत और यूनिट ट्रांसफर्स होते रहते हैं। उसके लिए आने वाली यूनिट या जवान का वोट बढ़ाने की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि वे लोग रोज यूनिट और बैरक से कचहरी या तहसील नहीं जा सकते और पटवारी भी उनके यहाँ नहीं आ सकता। इसलिए इस पर विचार किया जाना चाहिए। जब एक ही मकान में रहते हुए उन्हें लोक सभा और विधान सभा के चुनावों के लिए मताधिकार है, तो छावनी परिषद के चुनाव में उनको मताधिकार देने पर विचार करने के लिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ।

सर, इसमें मेरा एक और सुझाव है.....*

*Not recorded.